राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड
76वीं बैठक दिनांक 30 मार्च, 2021 की कार्य सूची (एजेण्डा)

एजेण्डा संख्या – 1 वित्तीय समावेषन	(1) वित्तीय समावेषन हेतु राष्ट्रीय रणनीति (NSFI) 2019-2024 (a) Universal Acess to Financial Services (b) Business Correspondent and Capacity Building (c) Providing Basic Bouquet of Financial Services (d) Acess to Livelihood and Skill Development (2) PMJDY – Social Security Schemes (क) आधार केन्द्र (ख) सुरक्षा बीमा खातों का कवरेज (3) Revamp of Lead Bank Scheme – SLBC Data Flow and its Management
एजेण्डा संख्या – 2	(क) वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि (ख) ऋण जमा अनुपात
एजेण्डा संख्या – 3	प्रधानमंत्री फेरी व्यवसायियों हेतु आत्मनिर्भर निधि योजना
एजेण्डा संख्या – 4	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना – प्रगति रिपोर्ट
एजेण्डा संख्या – 5	सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाएं – प्रगति रिपोर्ट
एजेण्डा संख्या – 6	जनपद अल्मोड़ा को षत प्रतिषत डिजीटाइजेषन किया जाना।
एजेण्डा संख्या – 7	(क) योजनावार एन.पी.ए. की समीक्षा (ख) लम्बित वसूली प्रमाणपत्र (आर.सी.)
एजेण्डा संख्या – 8	किसानो की आय वष 2022 तक दोगुना करना (i) कृषि अवस्थापना निधि (AIF) (ii) किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता (KCC Saturation)
एजेण्डा संख्या – 9	(क) एम.एस.एम.ई. (ख) ईमररजेन्सी क्रेडिट लाईन गारंटी योजना (GECL – 1 / GECL – 2) (ग) Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt (CGSSD) (घ) Restructuring of MSME Accounts
एजेण्डा संख्या – 10 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।	

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड
बैठक दिनांक 30 मार्च, 2021 की कार्य सूची (एजेण्डा)

दिनांक 11 जनवरी, 2021 को आयोजित बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की विषष बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2021 के कार्य बिंदुओं पर संबंधित विभागों एवं बैंकों द्वारा की गयी कार्यवाही से राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, उत्तराखण्ड को अवगत कराया गया है, जिनकी पुष्टि निम्नलिखित स्थायी समितियों की बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से मान ली गयी है।

चार उप–समितियों की बैठकों के आयोजन का विवरण निम्नवत है :

1. ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16 मार्च, 2021
2. Deepening of Digital Payments / Financial Inclusion हेतु गठित राज्य स्तरीय उप–समिति की बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2021
3. अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 17 मार्च, 2021
4. समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2021
5. Steering Sub-Committee की बैठक दिनांक 15 मार्च, 2021

एजेण्डा संख्या – 1 :

(1) National Strategy for Financial Inclusion (NSFI):2019-2024 :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेषन के लिए राष्ट्रीय नीति (NSFI) 2019–2024, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा घोषित की गयी है, जिसका उद्देष्य वित्तीय समावेषन प्रोसेस के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समरुपता लाना है, जिसमें वित्तीय क्षेत्र के सभी Stakeholders का योगदान होगा।

उपरोक्त नीति के अंतर्गत मुख्य Objectives / Milestones निम्न प्रकार से हैं :

a) Universal Access to Financial Services :

5 किमी. रेडियस की उचित दूरी के अन्तर्गत गांव में एक औपचारिक वित्तीय सेवा प्रदाता हो, ताकि ग्रामवासियों को बैंकिंग सेवायें प्राप्त हो सके। राज्य के समस्त गांव वित्तीय सेवा से संतृप्त हैं, अतः जन–धन दर्षक ऐप में उत्तराखण्ड में कोई भी गांव असंतृप्त नही दिखाया जा रहा है।

राज्य में कार्यरत बैंक की षाखाओं एवं ए.टी.एम. की संख्या निम्नवत है :

बैंक	As on 31/12/2019		As on 31/12/2020	
	शाखाओं की संख्या	ए.टी.एम. की संख्या	शाखाओं की संख्या	ए.टी.एम. की संख्या
सरकारी बैंक	1467	2128	1452	2140
ग्रामीण बैंक	287	0	287	02
सहकारी बैंक	289	81	289	101
निजी बैंक	290	459	323	511
पेमेंट बैंक	12	06	12	06
स्माल फाईनेन्स बैंक	21	07	23	10
योग	**2366**	**2681**	**2386**	**2770**

b) Business Correspondent and Capacity Building :

दिनांक 31/12/2020 तक Business Correspondent विषयक प्रगति निम्नवत है :

	Total No. of B.C..	Active B.C.	In-Active B.C.	No. of B.C. completed B.C. Certification Course	No. of remaining B.C. for completion of B.C. Certification Course
As on 31/12/20	2590	2202	388	1539	1051
As on 30/11/20	2531	1962	569	1487	1044

दिनांक 18 फरवरी, 2021 को Deepening of Digital Payments / Financial Inclusion हेतु गठित राज्य स्तरीय उप–समिति की बैठक में सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड षासन द्वारा समस्त बैंक नियंत्रकों को निर्देषित किया गया कि वे In-Active बी.सी. को Active करें अन्यथा उनके स्थान पर नये बी.सी. नियुक्त करें।

एस.एल.बी.सी. द्वारा समस्त बैंक नियंत्रकों को निर्देषित किया गया कि वे In-Active बी.सी. को Active करायें, अन्यथा उनके स्थान पर नयी वी.सी. नियुक्त करें।

उक्त बैठक में नोबार्ड के सहायक महाप्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि B.C. Certification Course, जो कि Indian Institute of Banking Finance द्वारा आयोजित किया जाता है, को पूर्ण करने के लिए, रजिस्ट्रेषन फीस की प्रतिपूर्ति नाबार्ड द्वारा बैंकों को की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ई–मेल के माध्यम से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को अवगत कराया गया है कि बी.सी. सर्टिफिकेशन कोर्स पूर्ण कराने की अवधि 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी गयी है।

c) Providing basic bouquet of financial services –

प्रत्येक वयस्क, जो इच्छुक और योग्य है, को वित्तीय सेवाओं का एक बुनियादी समूह बैंकों द्वारा प्रदान करना होगा, जिसमें बुनियादी बचत बैंक जमा खाता, रुपया डेविट कार्ड, क्रेडिट, माइक्रो लाईफ और गैर–जीवन बीमा उत्पाद, पेंषन उत्पाद और उपयुक्त निवेष उत्पाद षामिल होने चाहिए।

योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए वित्तीय वर्ष 2020–21 के तृतीय त्रैमास की समाप्ति पर बैंकों द्वारा निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

योजना	आच्छादित खातों की संख्या	
	As on 30.09.2020	**As on 31.12.2020**
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	17,88,416	19,07,866
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	3,96,735	4,18,953
अटल पेंषन योजना	2,32,551	2,54,720
कुल पी.एम.जे.डी.वाई खाता संख्या	28,08,252	28,35,493

प्रधानमंत्री जन–धन योजना अंतर्गत खोले गये खातों (31.01.21 तक) का वर्गीकरण निम्नवत है :

	Male	**Female**	**Total A/c**	**Amt.** **(Amt. in Crores)**
As on Jan. 2021	13,53,540	14,90,521	28,44,061	1463.37

(उक्त डाटा F.I. Plan Portal से लिये गये हैं।)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की विषेष बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2021 को सचिव, वित्त एवं स्वास्थ्य द्वारा मनरेगा, आंगनवाड़ी एवं आषा कार्यकर्ताओं को अटल पेंषन योजना अन्तर्गत आच्छादित करने हेतु सुझाव दिया गया था। समस्त बैंक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभार्थियों का समय पर नवीनीकरण करें ताकि लाभार्थीयों को योजना का समुचित लाभ निरन्तर मिल सके।

31 दिसम्बर, 2020 को 28,35,493 पी.एम.जे.डी.वाई. खातों में 1,51,629 खाते षून्य षेष खाते हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा समस्त बैंकों को निर्देषित किया गया है कि वे षून्य षेष खाताधारकों को जागरुक करें तथा उनसे इन खातों में धनराषी जमा करवायें एवं खाताधारक यदि DBT का लाभ लेना चाहता है, तो उनके खातो में आधार लिंकज करवायें।

Aspirational District Programme for Haridwar & Uddham Singh Nagar Districts Targetted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) :

नीति आयोग द्वारा राज्य में पूर्व में हरिद्वार जिला और अब उधम सिंह नगर जिले को F.I. हेतु Aspirational District के तौर पर चिन्हित किया गया है। वित्तीय सेवायें विभाग, वित मंत्रालय, भारत सरकार के डी.ओ. पत्र दिनांक 17 फरवरी, 2021, जो कि मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन को प्रेषित है, में अवगत कराया गया है कि उधम सिंह नगर जिले को भी TFIIP में षामिल किया गया है। जहां पर Targetted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह जनवरी, 2021 तक जिले द्वारा KPI (Key Performance Indicator) में निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

जिला हरिद्वार की प्रगति 31 जनवरी, 2021 तक निम्नवत है :

Benchmark for Aspirational Districts	Operative Bank accounts (CASA)	PMJJBY enrollments	PMSBY enrollments	APY beneficiaries
Total No. of Accounts to be opened for achieving benchmark	24,52,917	1,84,732	5,72,855	54,558
Actual No. of Accounts as on Jan. 2021	22,68,751	70,985	3,62,848	52,675
Remaining No. of Accounts to be opened by 30/09/21	**1,84,166**	**1,13,747**	**2,10,007**	**1,883**

जिला उधम सिंह नगर की प्रगति 31 जनवरी, 2021 तक निम्नवत है :

Benchmark for Aspirational Districts	Operative Bank accounts (CASA)	PMJJBY enrollments	PMSBY enrollments	APY beneficiaries
Total No. of Accounts to be opened for achieving benchmark	21,39,533	1,61,131	4,99,667	47,587
Actual No. of Accounts as on Jan. 2021	22,08,107	1,00,715	4,70,811	49,513
Remaining No. of Accounts to be opened by 30/09/21	**---**	**60,416**	**28,856**	**----**

(उक्त डाटा नीति आयोग के Champions of Change Portal से लिये गये हैं।)

वित्तीय सेवायें विभाग, वित मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दोनो जिलों को माहवार लक्ष्य आवंटित किये गये हैं, जिनकी समीक्षा जिला स्तर पर DLIC द्वारा की जायेगी तथा राज्य स्तर पर SLIC समीक्षा करेगी।

वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि SLIC कार्यकारिणी के सदस्य निम्नवत हैं :

S. No.	Official	Designation in the team
1	Joint Secretary in charge of Financial Inclusion (FI) in DFS	Co Chair
2	Principal Secretary, Finance of the of the concerned State Govt.	Co Chair
3	State Nodal Officer as nominated by NITI Aayog	--
4	General Manager, State Level Bankers Committee of the concerned States	Member Secretary
5	Zonal/Regional Head of State Bank of India in the State as nomitated by the bank	Member
6	Zonal/Regional Head of Punjab National Bank in the State as nomitated by the bank	Member
7	Zonal/Regional Head of Union Bank of India in the State as nomitated by the bank	Member
8	Zonal/Regional Head of Bank of Baroda in the State as nomitated by the bank	Member
9	Representative of CEO NPCI to the State	Member
10	Director, Micro Save (institution engaged by NITI Aayog for consultancy services in ADP) or his/her representative	Member

TFIIP within ADP हेतु SLIC कमेटी का गठन राज्य में किया जा चुका है एवं प्रथम बैठक दिनांक 19.03.2021 को आयाजित की गयी। बैठक के मुख्य कार्य विन्दु निम्नवत हैं :

- बैंकों द्वारा दोनो जिलों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कैम्प मोड में PMJDY खाता खोलने एवं खाताधारको को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से आच्छादित करने हेतु कार्य किया जा रहा हैं।
- कैम्प लगाने के लिए जिला प्रषासन का सहयोग प्राप्त किया जाना है।
- वित्तीय सेवाये विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Key Performance Indicators (KPI) के मासिक लक्ष्य जिलों को प्रेषित कर दिये गये हैं।
- अग्रणी जिला प्रबन्धक, प्रषासन से समन्वय कर ब्लाकवार एवं बैंकवार लक्ष्य निर्धारित करेंगे एवं लक्ष्य प्राप्त करने हेतु बैंक षाखाओं को निर्देषित करेंगे।
- अग्रणी जिला प्रबन्धक नियमित अंतराल पर DLIC की बैठक जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता म आयोजित करना सुनिष्चित करेंगें।
- बैंक कैम्प मोड में इच्छुक ग्राहकों के PMJDY खाते खोलेगे तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्रीमियम हेतु खाता धारकों से Auto Debit Mandate प्राप्त करेंगे।
- अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा वित्तीय समावेषन (FLC) कैम्प में जन्ता को जागरुक करने के साथ–साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की आवष्यकता की जानकारी प्रदान की जायेगी।

d) <u>Access to Livelihood and Skill Development</u> –

वित्तीय प्रणाली में षामिल नए सदस्य, यदि वे पात्र हैं और किसी आजीविका/कौषल विकास कार्यक्रम को अपनाना चाह रहे हैं, तो उन्हे वर्तमान में चल रहे सरकारी आजीविका कार्यक्रमों के बारे में प्रासंगिक जानकारी दी जाय, ताकि उन्हे अपने कौषल को बढ़ाने और सार्थक आर्थिक गतिविधियों में षामिल होने एवं आय सृजन को सुधारने में मदद मिल सके।

दिनांक 18 फरवरी, 2021 को Deepening of Digital Payments / Financial Inclusion हेतु गठित राज्य स्तरीय उप–समिति की बैठक में सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड षासन द्वारा अवगत कराया गया था कि कौषल विकास विभाग, उत्तराखण्ड षासन बैंकों को एक फार्म उपलब्ध करायेगा, जिसमें राज्य में कौषल विकास प्रदान करने वाली संस्थाओं की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी।

इसी अनुक्रम में दिनांक 15 मार्च, 2021 को Steering Sub Committee की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक ने कौषल विकास विभाग से पुस्तक बैंकों को षीघ्र प्रिंट करा कर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में आरसेटी (RSETI) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण निम्नवत है :

Number of Programmes Conducted	Number of Candidates Trained
158	4219

आरसेटी द्वारा मुख्यतः निम्नवत कार्यकलापों हेतु प्रषिक्षण प्रदान किया जाता है :

- एम.एस.वाई. एवं पी.एम.ई.जी.पी. के लिए ई.डी.पी. प्रषिक्षण।
- मषरुम उत्पादन हेतु प्रषिक्षण।
- मृदा खाद (Soil Compost) तैयार करने हेतु प्रषिक्षण।
- LED बल्ब बनाने हेतु प्रषिक्षण।
- टेलरिंग सम्बन्धी कार्य हेतु प्रषिक्षण।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के तृतीय त्रैमास की समाप्ति पर आरसेटी संस्थानों द्वारा 158 प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें 4219 प्रषिक्षणर्थियों को प्रषिक्षण प्रदान किया गया है। प्रषिक्षण प्राप्त 2641 प्रषिक्षणर्थियों को रोजगार प्राप्त हो गया है, जिसमें से 1715 प्रषिक्षणर्थियों ने बैंकों से ऋण प्राप्त कर व्यवसाय प्रारम्भ किया है तथा षेष 907 प्रषिक्षणर्थियों द्वारा स्वयं अपना व्यवसाय प्रारम्भ किया गया है।

2. PMJDY – Social Security Schemes :

(क) आधार केन्द्र :

04 फरवरी, 2021 को राज्य में विभिन्न बैंकों के **319** आधार केन्द्र कार्यरत हैं। इलेक्ट्रोनिक्स एवं आई.टी. मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. OM No. 4(4)/57/259/AKR/2014-E&U दिनांक 22.04.2019 के अनुसार आधार कार्ड से सम्बन्धित सेवाओं के लिए निम्नवत प्रभार निर्धारित किये गये है :

Services	Rate of fee to be collected from Residents by Registrar/EA (incl. GST)
Aadhaar Enrolment	Free of Cost
Mandatory Biometric Update (MBU)/MBU along with demographic update	Free of Cost
Biometric Update with or without Demographic update*	Rs. 100.00
Demographic Update	Rs. 50.00
e-Aadhaar download and color print on A4 Sheet	Rs. 30.00

*Update of more than one field on single instance will be considered as one update.
2. The above rates will be applicable at all Aadhaar Kendras and Aadhaar Seva Kendras across the country.
3. The revised rates shall be effective from the date of issue of this OM.
4. In addition to the above, residents can also update their address online by visiting the website www.uidai.gov.in at free of cost.

वित्तीय वर्ष 2020–21 के तृतीय त्रैमास की समाप्ति पर बैंकों द्वारा योजनांतर्गत निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

		As on 30.09.2020	As on 31.12.2020	Increase
क)	पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत खोले गये कुल खातों की संख्या	28,08,252	28,35,493	27241
ख)	पी.एम.जे.डी.वाई. खातों में आधार सीडिंग की संख्या	21,58,307	21,90,812	32505
कवरेज प्रतिषत		81.16%	81.63%	0.47%

(उक्त डाटा F.I. Plan Portal से लिये गये हैं।)

खाते में आधार लिंकेज न होने के कारण खाताधारको को केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत प्रेषित अनुदान का लाभ Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से प्राप्त नही होता है। अतः समस्त बैंकों से अनुरोध है कि उन खाताधारकों का आधार लिंकेज करवायें, जो DBT के माध्यम से अनुदान प्राप्त करना चाहते है।

अग्रणी जिला प्रबन्धकों एवं समस्त बैंकों को निर्देषित किया गया है कि वे वित्तीय साक्षरता हेतु आयोजित कैम्पों में ग्राहकों को खाते में आधार लिंकेज से होने वाली सुविधाओं से अवगत कराय।

(ख) सुरक्षा बीमा खातों का कवरेज – **Source SLBC Revamp Portal :**

Total No. of Enrolment under PMJJBY	Total No. of eligible cases under PMJJBY	Total No. of renewals under PMJJBY	Total No. of Enrolment under PMSBY	Total No. of eligible cases under PMSBY	Total No. of renewals under PMSBY	Total No. of Enrolment under APY
3,32,545	69,99,269	1,90,417	17,30,915	88,34,679	10,86,794	2,20,013

SLBC Revamp Portal में PMJJBY एवं PMSBY के योग्य खातों की संख्या से प्रतीत होता है कि योग्य खातों की संख्या कुल खोले गये खातों से ली जा रही है ना कि उक्त योजना अंतर्गत योग्य खातों से।

PMJDY खातों में दिनांक 17.03.2021 को बीमा क्लेम का विवरण :

	Total Claims	Paid	Rejected	Under process	Pending with Insurer
Life Insurance Claims (PMJJBY)	2548	2361	124	12	51
General Insurance Claims (PMSBY)	785	665	84	06	30

(Source : pmjdy.gov.in/fiplan)

क्लेम Reject करने के निम्नलिखि कारण है :

	PMJJBY	**PMSBY**
क)	प्रीमियम की कटौती हेतु Auto Debit Mandate फेल होना	पोस्ट मार्टम न कराया जाना
ख)	45 दिन के Lien Period के दौरान मृत्यु होना	दुर्घटना के समय नषे में चूर होना
ग)	जोखिम अवधि के उपरांत मृत्यु होना।	जोखिम अवधि के उपरांत मृत्यु होना
घ)	----	मृत्यु दुर्घटना के कारण न होना

(Source : pmjdy.gov.in/fiplan)

PMJDY खातों में दिनांक 17.03.2021 को लम्बित बीमा क्लेम का विवरण है :

Claims pending with PMJJBY – Life Insurance			
Sr.	**Name of Insurance Co.**	**Pending less than 2 months**	**Pending more than 2 months**
1	SBI life Insurance Company Ltd.	0	39
2	LIC	3	04
3	India First Life Insurance	0	04
4	Canara HSBC OBC Life Insurance Co. Ltd.	0	01
	Total	**3**	**48**

(Source : pmjdy.gov.in/fiplan)

Claims pending with PMSBY – General Insurance			
Sr.	**Name of Insurance Co.**	**Pending less than 2 months**	**Pending more than 2 months**
1	New India Assurance Co. Ltd.	1	10
2	The Oriental Insurance Co. Ltd.	2	13
3	Reliance General Insurance Co. Ltd.	0	02
4	National Insurance Co. Ltd.	0	01
5	Universal Sampo General Insurance Co. Ltd.	0	01
	Total	**3**	**27**

(Source : pmjdy.gov.in/fiplan)

एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा सम्बन्धित बैंक नियंत्रकों को निर्देषित किया गया है कि वे सम्बन्धित बीमा क0 से लम्बित क्लेम हेतु अनुवर्ती कार्यवाही करें।

(3) **<u>Revamp of Lead Bank Scheme – SLBC Data Flow and its management</u> :**

भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या FIDD.CO.LBS.No.558/02.01.001/2019-20 दिनांक 06 सितम्बर, 2019 द्वारा दिए गए निर्देषों के अनुक्रम में एस.एल.बी.सी. के डाटा प्रवाह एवं प्रबंधन प्रणाली (Developing a Standardized System for Data Flow and its management) में एकरुपता लाने के उद्देष्य से सभी बैंकों द्वारा Standardized System तैयार किया जाना है, जिससे कि एस.एल.बी.सी. को बैंकों का डाटा ऑनलाईन उपलब्ध हो सके।

एस.एल.बी.सी. द्वारा बैंकों को अवगत कराय गया है कि Revamp Portal में डाटा अपलोड करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें :

- Data integrity
- Accuracy
- Timely submission

इसी अनुक्रम में अवगत कराना है कि अब तक 29 बैंकों द्वारा पुष्टि प्रेषित की गयी है, कि उनके द्वारा Standardized System (Block wise mapping) तैयार कर लिया गया है तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की अनुवर्ती कार्यवाही के बावजूद भी निम्नवत षष 03 बैंकों द्वारा Standardized System (Block wise mapping) प्रगतिषील है, जो कि 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण किया जाना है।

1. **कोटक महेन्द्रा बैंक**
2. **एक्सेस बैंक**
3. **राज्य सहकारी बैंक**

राज्य में कार्यरत **5** बैंकों द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को अवगत कराया गया था कि उनका Standardized System (Block wise mapping) तैयार हो गया है, परन्तु त्रैमास दिसम्बर, 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारुप पर उनके डाटा सी.बी.एस. से प्रत्यक्ष रुप से अभी तक SLBC India Portal पर अपलोड (Pending / Incomplete) नही हुआ है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा उक्त बैंकों को समय–समय पर अवगत कराया जा रहा है कि वे उक्त कार्य को अतिषीघ्र पूर्ण करें।

एजेण्डा संख्या – 2 :

क) वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि :

(करोड़ में)

मद	दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019			दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020		
	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
फसली ऋण	6806.40	3704.86	54	7951.63	3073.09	39
सावधि ऋण	3578.65	2459.13	69	5270.68	1802.21	34
फार्म सेक्टर (कुल योग)	**10385.05**	**6163.99**	**59**	**13222.32**	**4875.30**	**37**
नॉन फार्म सेक्टर (MSME)	**8031.49**	**6789.67**	**85**	**8850.51**	**7603.06**	**86**
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	3594.74	1421.94	40	3721.07	799.43	21
कुल योग	**22011.28**	**14375.60**	**65**	**25793.90**	**13277.79**	**51**

वार्षिक ऋण योजना 2020-21 हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्य **रु. 25793.90 करोड** के सापेक्ष दिसम्बर, 2020 त्रैमास तक बैंकों द्वारा **रु. 13277.79 करोड** की प्रगति दर्ज की गयी है, जो कि वार्षिक लक्ष्य का **51 प्रतिशत** है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा समस्त बैंकों से आग्रह किया गया है कि वे बैंक षाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समय सीमा में निस्तारण करें, ताकि समय से वार्षिक ऋण योजना हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके तथा बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में बजट पूरा करने के लिए नाबार्ड द्वारा प्रायोजित योजनाओं में सहभागिता बढ़ायी जानी अपेक्षित है।

(ख) ऋण जमा अनुपात (C.D. Ratio) :

वित्तीय वर्ष 2020–21 के तृतीय त्रैमास की समाप्ति पर राज्य का ऋण जमा अनुपात (C.D. Ratio) **59%** है।

(Amt. in Crores)

Sr.	COMPONENTS	AS ON 31/12/20
1	Advances from Banks (Within State)	66177
2	Advances from Banks (utilized in the state but sanctioned from outside the State)	11100
3	RIDF (Balace Outstanding at the end of Qtr. Dec 2020)	7662
4	Investment	5129
4	Total Advance (1+2+3+4)	90068
5	Total Deposits	152833
Credit Deposit Ratio (CDR) in Uttarakhand as on 31 Dec, 2020		**59%**

वित्तीय वर्ष 2020–21 के तृतीय त्रैमास की समाप्ति पर जिलेवार ऋण जमा अनुपात (C.D. Ratio) निम्नवत है :

(Amt. in Crores)

Sr.	District	No. of Branches	Total Deposit	Total Advances + Investment	C.D. Ratio
1	**Dehradun**	**596**	**60151**	**24696**	**41**
2	Uttarkashi	66	2213	1366	62
3	Hardwar	287	22047	17704	80
4	**Tehri**	**136**	**5377**	**2004**	**37**
5	**Pauri**	**194**	**9198**	**2547**	**28**
6	Chamoli	98	3826	3052	80
7	**Rudra Prayag**	**56**	**2171**	**879**	**40**
A	**Total G.M**	**1433**	**104982**	**52198**	**50**
8	**Almora**	**146**	**6217**	**1796**	**29**
9	**Bageshwar**	**52**	**2004**	**892**	**45**
10	Pithoragarh	107	4843	2372	49
11	**Champawat**	**62**	**2465**	**1121**	**45**
12	Nainital	258	17214	7516	44
13	U S Nagar	328	15108	16510	109
B	**Total K.M**	**953**	**47851**	**30207**	**63**
C	**G. TOTAL**	**2386**	**152833**	****82405**	**54**

** Advances from Banks (utilized in the state but sanctioned from outside the State) added.
RIDF not added.

जिला स्तर पर आयोजित DLRC की बैठक में ऋण जमा अनुपात का आंकलन केवल जिले में स्वीकृत एवं वितरित ऋण राषि के आधार पर किया जाता है।

उक्त तालिका में जिलों क ऋण जमा अनुपात में Investment and outside finance को जोड़कर दिखाया गया है, जिसके बावजूद पौड़ी, अल्मोड़ा एवं टिहरी का ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिषत से कम है।
अतः जिन जिलों में ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिषत से कम है, उन जिलों में ऋण जमा अनुपात की निगरानी हेतु DCC की विषेष उप–समिति का गठन किया जाय।

एजेण्डा संख्या – 3 :

प्रधानमंत्री फेरी व्यवसायियों हेतु आत्मनिर्भर निधि योजना :

आत्मनिर्भर निधि योजनान्तर्गत प्रगति निम्नवत है :

Progress	No. of Applications uploaded in portal	Market Place Applications	No. of Applications Picked by Banks	No. of Applications Sanctioned	No. of Applications Disbursed	Applications Returned / Rejected / Withdrawn	% Achievement Disbursed VS Total Application
As on 31/12/20	13390	2639	2961	7790	5689	----	42.49
As on 21/03/21	15270	59	1696	9746	8701	3769	75.65

.

वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 24 फरवरी, 2021 को बैंकों के नियंत्रकों के साथ वी.सी. की गयी एवं 27 फरवरी, 2021, 06 मार्च, 2021 एवं 13 मार्च, 2021 को बैंकों द्वारा कैम्पों का आयोजन किया गया, जिसमें स्वीकृत ऋणों का वितरण किया गया।

बैंकों द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड के साथ वी.सी. में निम्न जानकारियां प्रदान की गयी :

- कैम्पेन के दौरान वित्तीय सेवाये विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि लाभार्थी को दिये गये पी.एम. स्वनिधी ऋण पर ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक बिना यू.पी.आई., आई. डी./क्यू.आर. कोड के पी.एम.एस. पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।
- सरकारी बैंकों को एवं निजी बैंकों को पूर्व की तरह लाभार्थी का यू.पी.आई. आई.डी. बनाकर उसे डिजीटली ऑनबोर्ड कराना है।

इस विषयक एस.एल.बी.सी. द्वारा बैंकों को निर्देषित किया गया है कि वे यू.एल.बी. के साथ समन्वय कर ऋण संबधी औपचारिकतायें पूर्ण करें।

विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पी.एम. स्वनिधि योजना अतर्गत राज्य का लक्ष्य बढ़ाकर 26000 कर दिया गया है। अतः यू.एल.बी. / टी.वी.सी. से आग्रह है कि वे प्रयाप्त संख्या में वैन्डर्स को रजिस्ट्रेषन सर्टिफिकेट / LOR उपलब्ध कराकर आवेदन पी.एम. स्वनिधि पोर्टल पर अपलोड करें।

एल.डी.एम. उधम सिंह नगर द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर पालिका उन वैन्डर, जिनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिनांक 31.12.2020 को निरस्त हो गया है। शासनादेश न मिलने के कारण रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नवीनीकरण नही किया जा रहा है, जिस कारण लाभार्थियों को बैंक ऋण वितरित नही हो पा रहा है।

एजेण्डा संख्या – 4 :

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) :

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत प्रगति निम्नवत है :

progress	Applications Sent to Banks	Under process by Bank	Reverted by Bank	Rejected by Bank	Loan Sanctioned by Bank	Loan Disbursed by Bank	Pending
	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
As on 31/12/20	7265	622	727	1916	2278	1210	2344
As on 23/03/21	9232	344	1177	3081	3646	2847	1328

- जिला उद्योग केन्द्र से आग्रह है कि वे षेष मार्जिन मनी सब्सिडी क्लेम बैंक षाखाओं को प्रेषित करें।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत जिलेवार प्रगति निम्नवत है :

Progress as on 23/03/2021 **(Rs. In Cr.)**

Sr.	District	Target	Application	Sanctioned		Disbursed		Margin Money Claimed		Margin Money Disbursed	
		No.	No.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
1	Almora	250	679	261	8.52	181	4.72	177	1.34	51	0.38
2	**Bageshwar**	**200**	**552**	**270**	**7.19**	**207**	**4.43**	**191**	**1.39**	**109**	**0.81**
3	**Champawat**	**250**	**612**	**326**	**9.92**	**270**	**6.81**	**232**	**1.90**	**101**	**0.76**
4	Chamoli	250	712	238	9.16	211	8.00	202	2.05	100	1.14
5	**Dehradun**	**200**	**658**	**238**	**11.88**	**219**	**8.17**	**210**	**1.52**	**120**	**0.81**
6	Haridwar	200	656	225	5.61	156	2.86	96	0.33	05	0.04
7	**Nainital**	**250**	**735**	**288**	**13.15**	**259**	**6.30**	**207**	**1.66**	**96**	**0.84**
8	**Pauri**	**250**	**912**	**363**	**13.91**	**273**	**10.31**	**271**	**2.62**	**136**	**1.43**
9	**Pithoragarh**	**250**	**630**	**276**	**9.05**	**254**	**6.91**	**244**	**2.06**	**96**	**0.83**
10	**Rudraprayag**	**200**	**467**	**218**	**7.95**	**207**	**6.76**	**199**	**1.81**	**101**	**1.02**
11	Tehri	250	682	266	8.29	140	4.35	114	0.85	50	0.35
12	**US Nagar**	**200**	**664**	**238**	**10.62**	**210**	**5.97**	**169**	**1.27**	**76**	**0.53**
13	**Uttarkashi**	**250**	**1273**	**439**	**13.34**	**260**	**7.63**	**245**	**2.13**	**101**	**0.88**
	Total	**3000**	**9232**	**3646**	**128.59**	**2847**	**83.22**	**2557**	**20.94**	**1142**	**9.82**

(Data Source : MSY Portal)

चम्पावत, पौड़ी, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल, पिथोरागढ़, रुद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी जिलों ने उनको आवंटित लक्ष्य से अधिक ऋण आवेदन पत्र वितरित कर दिये हैं।

- 3000 ऋण आवेदन पत्रों की स्वीकृति के लक्ष्य के सापेक्ष बैंकों द्वारा 3646 ऋण आवेदन पत्रों में रु. 128.59 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं।
- **2557 ऋण खातां में जिला उद्योग केन्द्र से रु. 20.94 करोड़ की मार्जिन मनी सब्सीडी क्लम की गयी थी, जिसमें से मात्र 1142 ऋण खातों में रु. 9.82 करोड़ की मार्जिन मनी सब्सीडी ही बैंकों को प्राप्त हुयी है।**

समस्त बैंकों को निर्देषित किया गया है कि वे स्वीकृत ऋण आवेदन पत्रों का तुरन्त निस्तारण करें तथा ऋण वितरण में आने वाली समस्याओं क निराकरण हेतु महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से सम्पर्क करें। ईडीपी प्रषिक्षण हेतु महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला उद्योग केन्द्र में ईडीपी प्रषिक्षण का आयोजन ऑफलाइन करवायें।

समस्त बैंक योजना अंतर्गत प्रथम किस्त निर्गत करने के उपरांत पोर्टल में मार्जिन मनी सब्सिडी lodge करें तथा आवेदक को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन ईडीपी प्रशिक्षण एवं विभिन्न संस्थाओं से ऑफलाईन ईडीपी प्रशिक्षण लेने हेतु अवगत करायें।

बैंकों द्वारा अवगत कराया गया है कि ऋण आवेदन पत्रों के वापस लौटाने के मुख्य कारण निम्नवत हैं :

- आवेदक का सिबिल स्कोर खराब होना ।
- आवेदक का पूर्व में ही रोजगार में होना।
- बैंक षाखा में आवेदक का बैंक खाता न होना।
- आवेदक का ऋण लेने हेतु इच्छुक ना होना।
- आवेदक का ऋण प्रस्ताव viable ना पाया जाना।
- बैंकों के अनुस्मारक के उपरान्त भी आवेदक द्वारा ऋण सम्बन्धी औपचारिकतायें पूर्ण ना करना।
- आवेदक का बैंक सेवा क्षेत्र में न होना।

एम.एस.एम.ई. विभाग एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की प्रगति की समीक्षा हेतु दिनांक 23 फरवरी, 2021 एवं 26 फरवरी, 2021 को बैंक नियंत्रकों के साथ वी.सी. आयोजित की गयी।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा बैंको को अवगत कराया गया है कि ऋण आवेदन पत्रों के निरस्तीकरण का कारण पूर्ण रुप से पोर्टल में दर्ज करें तथा बैंक नियंत्रक के माध्यम से ऋण आवेदन पत्रों को लौटाया जाय। साथ ही अल्मोड़ा, चमोली, हरिद्वार एवं टिहरी जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धकों से आग्रह है कि वे विभागों से समन्वय कर योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण रुप से प्राप्त करें।

एजेण्डा संख्या – 5 :

सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाएं :

(i) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन व्यक्तिगत (NULM Individual) :

वित्तीय वर्ष 2020–21 के तृतीय त्रैमास की समाप्ति पर योजना अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों द्वारा दर्ज प्रगति का विवरण निम्नवत है :

(रु. लाखों में)

प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
As on 31/12/20	772	1829	644	559	319	866
As on 28/02/21	772	1894	805	634	421	668

दिनांक 28/02/2021 तक बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य **772** के सापेक्ष **805** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का **104%** है।

समस्त बैंकों को निर्देषित किया गया है कि वे बैंक षाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समय सीमा म निस्तारण करना सुनिष्चित करें तथा ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण NULM पोर्टल में अपलोड करें। Ministry of Housing and Urban Affairs, भारत सरकार द्वारा तैयार NULM पोर्टल में केवल बैंकवार स्थिति दर्ज की जाती है।

(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) :

वित्तीय वर्ष 2020–21 के तृतीय त्रैमास की समाप्ति पर योजना अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों द्वारा दर्ज प्रगति का विवरण निम्नवत है :

(रु. करोड़ में)

प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	ऋण राशि	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	
						< 1 M	>1 M
As on 31/12/20	9740	13032	5529	100.11	4487	606	2410
As on 28/02/21	9740	15051	8218	134.66	5267	478	1088

दिनांक 28/02/2021 तक बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य **9740** के सापेक्ष **8218** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का **84%** है।

समस्त बैंकों को निर्देषित किया गया है कि वे षाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समय सीमा में निस्तारण करना सुनिष्चित करें तथा ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण NRLM पोर्टल में अपलोड करें।

(iii) <u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP)</u> :

वित्तीय वर्ष 2020–21 के तृतीय त्रैमास की समाप्ति पर योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

Progress as on 31.12.2020 :

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	
					<1M	>1M
DIC - 530	3625	1060	652	1783	503	279
KVIC - 398	472	128	62	225	61	58
KVIB - 398	2057	707	374	1056	108	186
Total - 1326	**6154**	**1895**	**1088**	**3064**	**672**	**523**

Progress as on 28.02.2021

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	
				<1M	>1M
DIC - 530	4224	1372	2307	226	319
KVIC - 398	609	189	308	64	48
KVIB - 398	2313	858	1217	102	136
Total - 1326	**7146**	**2419**	**3832**	**392**	**503**

दिनांक 28 फरवरी, 2021 को योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य रु. **39.77 करोड** के सापेक्ष रु. **32.50 करोड (82%)** की प्रगति दर्ज की गयी है।

(दिनांक 22 मार्च, 2021 तक पी.एम.जी.पी. पोर्टल में बैंकों द्वारा रु. 43.44 करोड़ का मार्जिन मनी क्लेम दर्ज किया गया है तथा योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य रु. **39.77 करोड** के सापेक्ष रु. **39.61 करोड (99%)** की प्रगति बैंकों द्वारा दर्ज कर ली गयी है।)

बैंकों द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को अवगत कराया गया है कि ईडीपी प्रषिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित बैंकों द्वारा ई-पोर्टल पर मार्जिन मनी क्लेम अपलोड किया जा सकता है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा समस्त बैंकों का निर्देषित किया गया है कि वे योजनान्तर्गत षाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समय अवधि में निस्तारण करना सुनिष्चित करें, ताकि योजना अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को समय से प्राप्त किया जा सके।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा जिला उद्योग केन्द्र एव के.वी.आई.सी. को अवगत कराया है कि जिन लाभार्थियों का ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत किया गया है, उन लाभार्थियों को ईडीपी प्रषिक्षण ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन प्रदान करें, ताकि लाभार्थी को बैंक द्वारा ऋण वितरण किया जा सके।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, देहरादून द्वारा पत्रांक राकादे/पीएमईजीपी/सा0/पार्ट 4/2021–21 दिनांक 03.03.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत आवेदनों को बिना ईडीपी प्रमाण पत्र के ऋण की प्रथम किस्त निर्गत कर मार्जिन मनी क्लेम का प्रावधान किया गया है तथा ईडीपी प्रषिक्षण में दिनांक 31.03.2021 तक छूट प्रदान की गयी है। ईडीपी प्रषिक्षण में छूट प्राप्त आवेदकों को 01 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2021 के मध्य अर्थात प्रथम त्रैमासिक में ऑनलाईन या ऑफलाईन ईडीपी प्रषिक्षण लेना अनिवार्य है। उक्त पत्र एस.एल.बी.सी. द्वारा समस्त बैंक नियंत्रकों को उनकी आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा चुका है।

(iv) वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना :

वित्तीय वर्ष 2020–21 के तृतीय त्रैमास की समाप्ति पर योजनांतर्गत बैंकों द्वारा दर्ज प्रगति निम्नवत है :

(राषि लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त/ वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	
						<1M	>1M
वाहन – 147	174	76	75	758.31	36	28	34
गैर–वाहन – 153	102	29	26	542.78	21	20	32
कुल योग – 300	**276**	**105**	**101**	**1301.09**	**57**	**48**	**66**

योजनांतर्गत विभाग द्वारा बैंकों को प्रेषित **276** ऋण आवेदन पत्रों के सापेक्ष बैंकों द्वारा **105** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं, जो कि प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों का **38** प्रतिषत की प्रगति दर्ज की गयी है।

बैंकों द्वारा अवगत कराया गया है कि **माह फरवरी, 2021 तक वाहन मद** में **97** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत तथा 95 वितरित किये गये हैं तथा **गैर–वाहन मद** में **42** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत तथा **39** वितरित किये गये हैं।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा बैंक नियन्त्रको को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से लम्बित ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु समय–समय पर निर्देषित किया गया है।

(v) दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना :

वित्तीय वर्ष 2020–21 के तृतीय त्रैमास की समाप्ति पर योजनांतर्गत बैंकों द्वारा दर्ज प्रगति निम्नवत है :

(राषि लाखों में)

प्राप्त ऋण आवेदन पत्र	स्वीकृत ऋण आवेदन पत्र	वितरित ऋण आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त/वापिस ऋण आवेदन पत्र	लम्बित ऋण आवेदन पत्र	
					<1M	>1M
300	85	81	949.88	68	56	91

बैंकों द्वारा अवगत कराया गया है कि **माह फरवरी, 2021 तक 98** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा **132** ऋण आवेदन पत्र बैंक षाखाओं में लम्बित हैं।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा बैंक नियन्त्रको को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से लम्बित ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु समय–समय पर अवगत कराया गया है तथा पर्यटन विभाग को बैंकों द्वारा निस्तारित ऋण आवेदन पत्रों की स्थिति से अवगत कराया जा रहा है, जिससे कि वे अपने आंकड़ों का मिलान कर सके।

बैंकों द्वारा अवगत कराया गया है कि ऋण आवेदन पत्रों के निरस्तोकरण का प्रमुख कारण निम्नवत हैं :

- भू उपयोग परिवर्तन (सेक्षन 143)
- प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने में बिलम्ब होना है।

पोर्टल विषयक :

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना एवं दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना अन्तर्गत तैयार पोर्टल विषयक निम्नवत अवगत कराना है :

- वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना एवं दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा एक ही पोर्टल बनाया गया है, जब कि योजना की प्रगति एवं अनुवर्ती कार्यवाही हेतु अलग-अलग पोर्टल होना चाहिए।

- पोर्टल में बैंकवार प्रगति विवरण (यथा : बैंक षाखाओं को प्रेषित ऋण आवेदन पत्र/स्वीकृत ऋण आवेदन पत्र/निरस्त ऋण आवेदन पत्र/लम्बित ऋण आवेदन पत्र) प्रदर्षित होना चाहिए।
- समस्त बैंक नियंत्रकों/बैंक षाखाओं के आई.डी. एवं पासवर्ड बनाया जाना प्रतीक्षित है।

अतः विभाग से आग्रह है कि वे उपरोक्तानुसार पोर्टल में आवश्यक संशोधन/कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक 17 मार्च, 2021 को अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में पर्यटन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पोर्टल को user friendly बनाये जाने हेतु कार्य प्रगति पर है ।

(vi) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी):

CLSS :

1. EWS, LIG योजना 31 मार्च, 2022 तक वैध हैं।
2. MIG I, MIG II योजना 31 मार्च, 2021 तक वध हैं।

जिनके पास पक्का मकान है अथवा जिन्होने पूर्व में केन्द्र/राज्य सरकार की आवास योजना का लाभ प्राप्त किया है अथवा जिनकी वार्षिक आय रु. 18 लाख से अधिक है, वे प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत पात्र नही होंगे।

वैवाहिक एवं अवैवाहिक युवक–युवती प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। परिवार का कोई भी अवैवाहिक वयस्क सदस्य, जो कि आय अर्जित करता हो, के आवेदन पत्र पर विचार किया जा सकता है।

EWS एवं LIG श्रेणी के अन्तर्गत महिला स्वामित्व अथवा सह–महिला स्वामित्व आवष्यक है।

Particulars	EWS	LIG	MIG I	MIG II
Annual Household Income (Rs.)	Upto 3 Lakh	3-6 Lakh	6-12 Lakh	12-18 Lakh
Carpet Area in Sqm.	30	60	160	200
Interest Subsidy (% p. a.)	6.5%		4%	3%
Loan Tenure	20 Years			
Eligible Loan amount	6 Lakh		9 Lakh	12 Lakh
Discounted NPV Rate	9%			
Up front Amt. (Rs. For subsidy for a 20 years loan)	2,67,280/-	2,67,280/-	2,35,068/-	2,30,156/-
Approximate monthly savings @ Rs. Loan interest of 10%				
	2,500/-		2,250/-	2,200/-

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवेदक का आधार लिंकेज आवष्यक है, अन्यथा आवेदक के खाते में सब्सिडी जमा नही हो पायेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के तृतीय त्रैमास की समाप्ति पर बैंकवार दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

प्रगति	शाखाओं द्वारा स्वयं source कर स्वीकृत ऋण आवेदन पत्र	विभाग द्वारा प्रेषित ऋण आवेदन पत्र				सकल स्वीकृति
		प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	निरस्त/वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	
	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
As on 31/12/20	1076	199	62	98	39	1138
As on 30/09/20	596	156	32	95	29	628

बैंकों द्वारा अवगत कराया गया कि **माह फरवरी, 2021** तक षाखाओं द्वारा स्वयं source कर **1241** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत कर लिए गये हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संबंधित नोडल एजेन्सियों एवं बैंकिंग हाऊसिंग कंपनियों (HFCs) द्वारा किए गए ऋणों पर अनुदान राषि का भुगतान करने का विवरण निम्नवत है :

(राशि लाखों में)

नोडल एजेन्सी	स्वीकृत ऋण आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	वितरित अनुदान राशि
एन.एच.बी.	1458	----	3063.19
हुडको	346	4136.97	780.55
योग (As on 31/12/20)	**1804**	**4136.97**	**3843.74**
(As on 30/09/20)	**1451**	**3576.31**	**2879.70**

प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के तृतीय त्रैमास की समाप्ति पर राज्य में बैंकों एवं कार्यरत हाउसिंग फाइनेसिंग कंपनियों द्वारा कुल **2942** लाभार्थियों को भवन निर्माण / भवन क्रय करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा समस्त बैंकों को निम्नवत निर्देषित किया गया है :

- पोर्टल पर CLSS में सब्सीडी के लिए आवेदन करें।
- योजना अन्तर्गत षाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समय अवधि में निस्तारण करना सुनिष्चित करें, ताकि समय से लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सके।

(vii) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना :

वित्तीय वर्ष 2020–21 के तृतीय त्रैमास की समाप्ति पर योजनांतर्गत बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

(राशि करोड़ में)

		प्रगति 30.09.2020		प्रगति 31.12.2020	
		खातों की संख्या	स्वीकृत ऋण राशि	खातों की संख्या	स्वीकृत ऋण राशि
षिषु	रु. 50000 तक के ऋण	28593	77.94	68,800	203.05
किषोर	रु. 50000 से रु. 5.00 लाख	18129	373.66	39,632	759.94
तरुण	रु. 5.00 लाख से रु. 10.00 लाख	3645	295.00	8,176	668.07
योग		**50367**	**746.60**	**1,16,608**	**1,631.06**

(उपरोक्त आंकड़े **मुद्रा पोर्टल** से लिये गये हैं।)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के तृतीय त्रैमास की समाप्ति पर योजना अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्य **रु. 2071.03 करोड़** के सापेक्ष बैंकों द्वारा **रु. 1631.06 करोड** की प्रगति दर्ज की गयी है, जो कि वार्षिक लक्ष्य का **79 प्रतिशत** है।

योजनांतर्गत **1,16,608** लाभार्थियों को **रु. 1,631.06 करोड़** के ऋण स्वीकृत किए गए हैं तथा अनुमानतः **1,72,592** व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

बैंक एम.एस.एम.ई. के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र (Allied Activity) में रु. 10 लाख तक के ऋण स्वीकृत करें, जिससे मुद्रा ऋण के लक्ष्यों व वार्षिक ऋण योजना अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त हो सकें।

(viii) स्पेशल कम्पोनेंट प्लान :

वित्तीय वर्ष 2020-21 के तृतीय त्रैमास की समाप्ति पर योजना अंतर्गत सभी बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

(रु. लाखों में)

योजना	वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित/प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त/वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
अनुसूचित जाति	732	1162	620	592	431.21	128	414
अनुसूचित जनजाति	100	58	29	22	9.15	03	26
अल्पसंख्यक समुदाय	177	126	18	14	68.00	05	103
कुल योग	**1009**	**1346**	**667**	**628**	**508.36**	**136**	**543**

उपरोक्त योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को प्रेषित डाटा एवं पोर्टल में अंकित डाटा में भिन्नता है, अतः विभाग से आग्रह है कि वे बैंक षाखाओं को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों को पोर्टल में दर्ज करें तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पर्याप्त मात्रा में ऋण आवेदन पत्र बैंक षाखाओं को पोर्टल में दर्ज कर प्रेषित करें, ताकि डाटा का मिलान संभव हो सके। बैंक नियंत्रकों से आग्रह है कि वे बैंक षाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समय सीमा में निस्तारण करवाना तथा ऋण आवेदन पत्रों का निष्पादन बैंक षाखाओं से पोर्टल में दर्ज करवाना सुनिष्चित करें।

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा समस्त बैंकों को निर्देषित किया गया है कि वे योजनान्तर्गत षाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समय अवधि में निस्तारण करना सुनिष्चित करें, ताकि समय से लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सके।

(ix) स्टैण्ड अप इण्डिया :

योजनांतर्गत प्रत्येक बैंक षाखा को कम से कम एक महिला एवं एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को स्वयं का नया उद्यम स्थापित करने हेतु न्यूनतम **रु.10.00 लाख** से अधिक व अधिकतम **रु.1.00 करोड** के ऋण उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।

वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं औरतों के जीवन स्तर में सुधार हेतु यूनियन बजट 2021 में योजना अंतर्गत निम्न प्रावधान किये हैं :

- मार्जिन मनी प्रोजेक्ट लागत का 25 प्रतिषत से घटाकर 15 प्रतिषत कर दिया गया है।
- कृषि अनुषगी गतिविधियों के अंतर्गत डेयरी, पषुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, एग्री क्लीनिक एवं एग्री बिजनेष केन्द्र, ग्रेडिंग, खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी ऋण दिया जायेगा।

National Credit Guarantee Trustee Co. (NCGTC) द्वारा गारन्टी कवर Credit Guarantee Scheme for Stand-up India (CGSSI) से उपलब्ध कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के तृतीय त्रैमास की समाप्ति पर बैंकों द्वारा निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

(रु. करोड़ में)

मद	लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2020–21 31 दिसम्बर, 2020 तक की प्रगति			योजना के आरम्भ (05.04.2016) से वर्तमान त्रैमास तक की प्रगति	
		प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	स्वीकृत राषि	कुल वितरित ऋण आवेदन पत्र	कुल वितरित ऋण राषि
महिला	1122	260	260	50.53	1731	372.80
अनुसूचित जाति / जनजाति	1122	84	84	13.08	547	88.61
योग	2244	**344**	**344**	**63.61**	**2278**	**461.41**

समस्त बैंकों को ई–मेल के माध्यम से निर्देषित किया गया है कि वे जिला उद्योग केन्द्र, एस. सी. एस. टी. इन्डस्ट्रीज एसोसियेषन एवं इन्डस्ट्रीज एसोसियेषन ऑफ उत्तराखण्ड से उक्त योजना अन्तर्गत ऋण आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु सम्पर्क करें, ताकि लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति दर्ज की जा सके।

एजेण्डा संख्या – 6 :

अल्मोड़ा जिले को 100 प्रतिशत डिजीटाइजेशन किया जाना :

दिनांक 18 फरवरी, 2021 को सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड षासन की अध्यक्षता में Deepening of Digital Payments / Financial Inclusion हेतु गठित राज्य स्तरीय उप–समिति की बैठक में अल्मोड़ा जिले के डिजीटाइजेषन विषयक अध्यक्षा महोदया द्वारा निर्देषित किया गया है कि Operative बचत खाता एवं चालू खाता धारकों को समस्त बैंकों द्वारा कम से कम एक डिजीटल सुविधा (रुपे कार्ड/क्रेडिट कार्ड/मोबाईल बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग/यू.पी.आई.) प्रदान की जाय।

अग्रणी जिला प्रबन्धक, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि अल्मोड़ा जिले में Digital Mode के विभागवार उपयोग विषयक प्रगति निम्नवत है :

Sr.	Department	Using Digital mode of payment (Y / N)	Sr.	Department	Using Digital mode of payment (Y / N)
1	Treasury	Y	8	RTO	Y
2	Electory Deptt.	Y	9	Samaj Kalyan	Y
3	Telecome (BSNL)	Y	10	Health Deptt.	N
4	Education	N	11	Agriculture	N
5	Water	Y	12	Irrigation	N
6	Nagar Palika	Y	13	Holticulture	N
7	Labour Deptt. (MANREGA)	Y	14	CSC	Y

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिपोर्टिंग प्रारुप में निम्नवत परिवर्तन किया गया है :

- बैंकों द्वारा Operative बचत खातों में AEPS (Aadhar Enabled Payment System) द्वारा कवर किये गये खातों को भी digitally enabled माना गया है।
- बैंक बोर्ड द्वारा स्वीकृत पॉलिसी के अनुसार Operative बचत खाता धारक, जो कि डिजीटल कवरेज हेतु योग्य नही हैं, के खातों को डिजीटल बैंकिंग के लिए अयोग्य माना जाय।

एजेण्डा संख्या – 7 :

(क) योजनावार एन.पी.ए. :

(Amt. in Crores)

NPA POSITION OF GOVT. SPONSORED SCHEME as on 31st DECEMBER, 2020						
S. No.	NAME OF SCHEME	Total Outstanding		Gross NPA		Gross NPA%
		No.	Amount	No.	Amount	
1	**PMEGP**	6917	236.02	942	17.38	**7.37**
2	**SCP**	6170	118.25	565	4.47	**3.78**
3	**VCSGSY**	2500	171.67	451	23.78	**13.85**
4	**NULM**	2640	46.34	204	1.95	**4.20**
5	****SJSRY (Swarn Jayanti Sahari Rojgar Yojna)**	1158	4.14	414	1.89	**45.67**
6	**NRLM**	10632	44.63	492	2.24	**5.03**
7	****SGSY (Swarn Jayanti Gram Swarojgar Yojna)**	1230	8.55	718	4.20	**49.15**
8	**DRI**	4363	7.09	1205	1.89	**26.73**
	Mudra - Shishu	57961	146.89	5608	16.91	**11.51**
	Mudra - Kishore	90199	1373.61	9661	142.06	**10.34**
	Mudra - Tarun	169315	1727.70	1295	74.69	**4.32**
9	**Mudra**	317475	3248.20	16564	233.66	**7.19**
10	**DEDS – NABARD (Dairy Entrepreneurship Development Scheme)**	7547	106.31	2432	30.42	**28.61**
11	**Stand Up India**	1436	220.11	83	11.72	**5.32**
12	**MSME**	335416	16706.85	62036	1532.69	**9.17**
13	**Agriculture**	856585	11202.00	83944	1376.55	**12.29**

** उक्त योजनायें बन्द कर दी गयी हैं।

- बैंकों में एन.पी.ए. की स्थिति चिन्ताजनक है, अतः बैंक स्थानीय स्तर पर प्रषासन से समन्वय स्थापित करते हुये बैंक के एन.पी.ए. कम करने का प्रयास करें। बैंक तहसील से आर.सी. का मिलान करें तथा ज्यादा वसूली करने के लिए अमीनों से सहयोग प्राप्त करें।
- एन.पी.ए. खातों की तहसील में आर.सी. फाईल करें और अनुवर्ती कार्यवाही करना सुनिष्चित करें।
- बकायादारों से वसूली के लिए एक मुष्त समाधान (OTS) योजना / बैंक अदालत / लोक अदालत का उपयोग भी किया जाय तथा इसकी जानकारी बकायादारों को दी जाय, जिससे एन.पी.ए. को कम किया जा सक। वित्तीय साक्षरता कैम्प में ग्राहकों को अपना ऋण तय समय सीमा में चुकाने के लिए जागरुक किया जाय, जिससे उनका सिबिल स्कोर ठीक रहे।
- एन.पी.ए. खातों में यदि सम्पाष्विक प्रतिभूति (Collateral Security) उपलब्ध है, तो बैंक ऋण वसूली की प्रक्रिया हेतु 13 (2) और 13 (4) के तहत कार्यवाही करें।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित Empowered Committee Meeting on MSME की बैठक दिनांक 10 दिसम्बर, 2020 में बढते हुये एन.पी.ए. पर असंतोष एवं चिंता व्यक्त की गयी ।

दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 को राज्य में बैंकों का एन.पी.ए. 5.40 प्रतिषत हैं।

सार्वजनिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी बैंक एवं राज्य सहकारी बैंकों का एन.पी.ए. निम्नवत है : **(Amt. in Crores)**

Bank	NPA POSITION AS ON 31.12.2020												Total Advances		% of NPA To Total advances
	C&I		Agri.		MSE		MEDIUM ENTERPRISE		Per.		Total NPA				
	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	
Public Sector Banks	1760	25.26	55651	997.36	17240	893.59	5149	214.68	10110	261.15	89910	2392.04	899784	42474.00	5.63
Regional Rural Banks	0	0	7861	76.66	3746	61.01	0	0	975	24.76	12582	162.43	112177	2534.00	6.41
Private Sector Banks	1949	30.56	9895	205.72	16637	89	3478	139.77	2239	26.87	34198	491.92	618922	15196.00	3.24
Co-operative Banks	6723	38.27	10537	96.81	7725	49.31	8061	85.33	20778	255.95	53824	525.68	418782	5972.00	8.80
Total	**10432**	**94.09**	**83944**	**1376.55**	**45348**	**1092.91**	**16688**	**439.78**	**34102**	**568.73**	**190514**	**3572.07**	**2049665**	**66176.00**	**5.40**

राज्य के प्रमुख बैंकों के SMA खातों का विवरण निम्नवत है :

As on 31.01.2021 **(Rs. In Cr.)**

Name of Bank	SMA - 0		SMA - 1		SMA - 2		Total		% SMA of Total Advances
	No. of A/Cs	Amt.	No. of A/Cs	Amt.	No. of A/Cs	Amt.	No. of A/Cs	Amt.	
S.B.I.	10539	617.36	9669	308.07	35893	853.29	56101	1778.72	14
P.N.B.	46160	2546.12	9856	759.27	11734	839.24	67750	4144.63	29
B.O.B	11433	480.82	2022	196.66	2265	189.98	15720	867.45	18
U.B.I.	4628	302.00	3769	163.45	3385	162.82	11782	628.27	26
Canara Bank	4070	247.28	2829	157.40	6896	322.52	13795	727.20	24
I.O.B	1430	50.43	1263	50.68	1000	38.78	3693	139.89	18
B.O.I	2721	129.71	2147	73.32	2749	113.20	7617	316.23	28
U.G.B.	1180	21.77	5894	151.00	20385	286.52	27459	459.28	18
Total	**82161**	**4395.49**	**37449**	**1859.85**	**84307**	**2806.35**	**203917**	**9061.67**	**22**

- F.Y. 2020–21 में सर्वोच्च न्यायलय के आदेषानुसार 31 अगस्त, 2020 के पश्चात किसी भी खाते को एन.पी.ए. घोषित नही किया गया है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायलय ने दिनांक 23 मार्च, 2021 को निम्नाकित आदेष जारी किये हैं :

  - 31 अगस्त, 2020 के पश्चात किसी भी खाते को बैंक द्वारा एन.पी.ए. घोषित नही किया जायेगा, से सम्बन्धित आदेष पर से अन्तरिम रोक हटा दी गयी है।

  - Loan Moratium की अवधि 31 अगस्त, 2020 के पश्चात नही बढ़ायी जायेगी।

  - Loan Moratium की अवधि में ब्याज पर ब्याज की छूट सभी खातों पर लागू होगी एवं इस पर ऋण राषि की कोई सीमा नही होगी ।

(ख) लम्बित वसूली प्रमाण पत्र (आर.सी.) :

(Amt. in lacs)

RCs Pending						Total RCs Pending	
Less than 1 Year		1 Year to 5 Years		More than 5 Years			
No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
8254	14026.85	16015	29096.91	4162	4937.52	28431	48061

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा पत्रांक 57/सी.एम.आर.(05)/सं.वि.प्र./2021 दिनांक 19 फरवरी, 2021 के माध्यम से समस्त जिला अधिकारियों को निर्देषित किया है कि वे जिला प्रषासन स्तर पर लम्बित ऋण वसूली प्रमाण पत्रों में वसूली हेतु नियमानुसार यथाषीघ्र आवष्यक कार्यवाहो करना सुनिष्चित करें।

समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक राजस्व विभाग से समन्वय कर लम्बित रिकवरी सर्टिफिकेट (आर.सी.) अन्तर्गत वसूली में बैंको का सहयोग करें।

एजेण्डा संख्या – 8 :

किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना :

भारत सरकार के वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के तृतीय त्रैमास की समाप्ति पर बैंकों द्वारा निम्नवत ऋण वितरित किए गए हैं :

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	मद	कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों हेतु वितरित ऋण खातों की संख्या	कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों हेतु वितरित ऋण राशि
1	डेयरी	5706	102.80
2	मुर्गी पालन	696	24.51
3	भेड़/बकरी/सुअर पालन	1215	40.46
4	प्लांटेषन एवं बागवानी	452	17.88
5	मत्स्य पालन	372	8.82
6	फूड एवं एग्रो प्रोसेसिंग	979	298.59
7	स्टोरेज गोदाम	391	23.84
8	जल संसाधन	477	17.74
9	भूमि विकास	516	17.66
10	कृषि यंत्रिकरण	1481	29.80
11	अन्य (कृषि सम्बन्धी क्रियाकलाप)	53271	1220.10
	कुल योग	**65556**	**1802.20**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के तृतीय त्रैमास की समाप्ति पर बैंकों द्वारा **65556** खाताधारकों को कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों हेतु **रु. 1802.20 करोड** वितरित किये गये हैं।

उपरोक्त गतिविधियों के अतिरिक्त राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा चलाये गये कैम्पेन में तथा कृषि क्षेत्र की अन्य गतिविधियों यथा : डेयरी (के.सी.सी.) में 15633 आवेदकों को रु. 63.05 करोड, मत्स्य पालन (के.सी.सी.) में 146 आवेदकों को रु. 0.96 करोड, फ्लोरीकल्चर में 837 आवेदकों को रु. 29.28 करोड, ऑर्चडस में 195 आवेदकों को रु. 21.83 करोड, के ऋण वितरित किये गये हैं।

बैंकों से प्रदत्त सूचना के अनुरुप अन्य कृषि सम्बन्धित क्रियाकलाप में मियादी ऋण (Term Loan) के अंतर्गत Agri loan for Mules, Women SHG-NRLM (Other), AGRI-SHG-Direct, Joint Liabilty Group, तथा मांग ऋण (Demand Loan) के अंतर्गत Agri Gold Loan बैंकों द्वारा प्रदान किये जाते हैं।

कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कृषकों को वितरित गृह ऋण, माइक्रो फाइनेंस, ट्रैक्टर ऋण व बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र की विभिन्न अनुषंगी गतिविधियों हेतु बनायी गयी ऋण योजनाओं में दिए गए ऋण षमिल हैं।

मुर्गी पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन एवं मत्स्य पालन हेतु सम्बन्धित विभाग ऋण आवेदन पत्र प्राप्त कर बैंक षाखाओं को ऑन लाईन प्रेषित करें, जिससे कृषि क्षेत्र अन्तर्गत प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों का राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड अनुवर्ती कार्यवाही कर सके।

(i) कृषि अवस्थापना निधि : कृषि उद्योगों (Post harvest management) को बढावा देने के लिए कृषि अवस्थापना निधि में रु. 785 करोड़ का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के तहत फसल कटाई के बाद प्रंबधन के लिए फार्म गेट और एग्रीगेषन प्वाइंट्स (सहकारी समितियां, किसान उत्पाद संगठन, कृषि उत्पाद संगठन, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप, विपणन, सहकारी समितियां, कृषक समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देषीय सहकारी समितियां, कृषक प्रक्षेत्र) में कृषि अवसंरचना परियोजनाओं की फंडिंग के लिए वित्तीय सुविधा प्रदान की जा रही है।

योजना की विषेषतायें निम्नवत हैं :

- रु. दो करोड़ तक का ऋण।
- 3 प्रतिषत ब्याज सब्सिडी, जो कि 7 वर्ष तक उपलब्ध रहेगी।
- CGTMSE कवरेज, गारन्टी फीस का भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा।
- बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत FPOs, PACS, SHGs, JLGs को ऋण प्रदान किये जायेंगे।

योजना अंतर्गत कृषि विभाग को ऋण आवेदन पत्र प्राप्त होने प्रारम्भ हो गये हैं, अतः समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक कृषि विभाग एवं सम्बन्धित विभाग से समन्वय कर योजना अंतर्गत प्रगति दर्ज करायें।

सम्बन्धित विभाग से आग्रह है कि वे बैंक के नोडल अधिकारी का आई.डी. एवं पासवर्ड (Admin Password) बनायें, जिससे समस्त षाखाओं के आई.डी. पासवर्ड बनाये जा सकें।

के.सी.सी खातों का विवरण :

	New KCC A/C opened	Total KCC A/c
FY 2019-20	50,975	59,3720
FY 2020-21 (Uptlo 31/12/20)	48,373	605851

एस.एल.बी.सी. द्वारा समस्त बैंक नियंत्रकों को कहा गया है कि वे के.सी.सी. खातों की संख्या बढ़ायें तथा किसान सम्मान निधि लाभार्थियों के यदि के.सी.सी. खाते नही है, तो उनके के.सी.सी. खाते खोले जांय।

वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि के.सी.सी. के ऋण आवेदन पत्रों को **FI Plan Portal** पर अपलोड करने है।

(ii) किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता (KCC Saturation) :

किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता के तहत पशुपालन एवं मत्स्य पालन व्यवसाय को भी षामिल किया गया है।

डेयरी फार्मर्स एवं मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता अभियान अंतर्गत बैंकों द्वारा पोर्टल में दिनांक 01.03.2021 को निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

KCC SATURATION DATA AS ON 01.03.2021

S.NO	BANK NAME	CUMULATIVE NUMBER OF KCC APPLICATIONS RECEIVED	STATUS OF KCC APPLICATIONS SANCTIONED							
			KCC (CROP LOAN)	FARMERS WITH AH or FISHERIES ACTIVITIES		ONLY ANIMAL HUSBANDRY			FISHERIES	GRAND TOTAL
				KCC (CROP LOAN) WITH DAIRY ACTIVITY	KCC (CROP LOAN) WITH ANY OTHER ALLIED ACTIVITIES	DAIRY	POULTRY	OTHERS		
		(A)	(B)	(c)		(D)			(E)	(F)=(B)+(C)+(D)+(E)
1	Bandhan Bank	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bank of Baroda	7173	4338	15	274	658	0	116	35	5436
3	Bank of India	276	211	0	3	6	0	0	0	220
4	Bank of Maharashtra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Canara Bank	1572	1256	12	1	217	0	5	4	1495
6	Central Bank of India	676	356	29	0	184	0	2	1	572
7	Cooperative Bank	21378	10915	399	0	7167	4	173	122	18780
8	Cooperative Bank	16160	4788	43	0	1821	1	0	25	6678
9	HDFC Bank Ltd	3076	1522	5	805	0	0	19	0	2351
10	Indian Bank	742	429	0	0	36	0	0	1	466
11	Indian Overseas Bank	598	483	0	0	54	3	0	0	540
12	Punjab & Sind Bank	527	182	46	66	91	3	1	0	389
13	Punjab National Bank	4795	1871	491	0	1364	0	3	22	3751
14	RBL Bank Ltd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	State Bank of India	39706	30389	809	144	392	0	965	0	32699
16	UCO Bank	464	280	0	0	87	0	0	1	368
17	Union Bank of India	2504	1542	0	122	659	3	0	2	2328
GRAND TOTAL		**99647**	**58562**	**1849**	**1415**	**12736**	**14**	**1284**	**213**	**76073**

SOURCE:- FI-PLAN PORTAL

वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2020 को आयोजित वी.सी. में विभाग और बैकों को ऋण आवेदन पत्रो के मिलान करने हेतु निर्देषित किया गया था।

वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि के.सी.सी. मत्स्य पालन के आवेदन पत्र **FI Plan Portal** पर अपलोड करने है। अतः विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वे बैंक षाखाओं को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों का मिलान करें तथा बैंक षाखाओं को प्रेषित समस्त ऋण आवेदन पत्रों को पोर्टल में दर्ज करें।

एजेण्डा संख्या – 9 :

(क) एम.एस.एम.ई. :

उद्यम रजिस्ट्रेशन :

(i) वर्तमान में कार्यरत एम.एस.एम.ई. इकाईयों द्वारा उद्यमी ज्ञापन (Entrepreneurs Memorandum part-2) एवं उद्योग आधार मेमोरेन्डम माह जून, 2020 तक प्राप्त कर लिया था, जो कि 31 मार्च, 2021 तक वैध होगा। उद्यम रजिस्ट्रेषन पोर्टल www.udyamregistration.gov.in पर करना है।

(ii) दिनांक 30 जून, 2020 तक रजिस्टर्ड इकाईयों को उद्यमी रजिस्ट्रेषन पोर्टल में 31 मार्च, 2021 तक नया रजिस्ट्रेषन फाईल करना होगा।

(iii) एम.एस.एम.ई. इकाईयों को उनके द्वारा स्वयं की घोषणा के आधार पर उद्यमी रजिस्ट्रेषन सर्टिफिकेट निर्गत किया जायेगा। स्वयं के रजिस्ट्रेषन हेतु आधार कार्ड आवष्यक है।

(iv) दिनांक 01.04.2021 से उद्यम रजिस्ट्रेषन के लिए Pan Card एवं GSTIN mandatory कर दिया गया है।

31 दिसम्बर, 2020 तक योजनांतर्गत इकाईयों को वितरित ऋणों की सेक्टरवार outstanding निम्नवत है :

(कुल प्रदत्त राषि करोड़ में)

प्रगति	सूक्ष्म इकाई		लघु इकाई		मध्यम इकाई		कुल ऋण राशि		योग
	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	एम.एस.एम.ई.
31.12.20	1668.11	4369.18	2502.16	6553.76	826.24	787.40	4996.51	11710.34	16706.85
30.09.20	1599.99	4078.36	2399.99	6117.55	862.80	942.94	4862.78	11138.85	16001.63

सभी बैंकों द्वारा एम.एस.एम.ई. के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के तृतीय त्रैमास की समाप्ति पर एम.एस.एम.ई हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्य रु. **8850.51 करोड** के सापेक्ष रु. **7603.06 करोड** की प्रगति दर्ज की गयी है, जो कि लक्ष्य का **86%** है।

(ख) ईमरजेन्सी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना

GECL - 1 :-

- सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिषानिर्देषानुसार GECL फन्डिंग के अंतर्गत अदत्त ऋण राषि (20% of outstanding Loan Amt. as on 29/02/2020) तथा खाता SMA-0, SMA-1 होना चाहिए, यह सुविधा SMA-2 खातों को प्राप्त नही होगी।
- **वर्तमान में ईमरजेन्सी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना में रु. 50 करोड़ तक का outstanding एवं रु. 250 करोड़ से अधिक टर्न ओवर वाली इकाइयां भी इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगी।**

Guaranteed Emergency Credit Line (GECL) के अंतर्गत राज्य की योग्य इकाईयों से संबंधित प्रगति :

Progress as on 31/12/2020, O/S (FB+NFB) upto Rs. 50 Crores :

(Rs. In Crores)

	Eligible loan A/Cs		No. of A/Cs whom information sent	No. of Accounts		Amount		Coverage %
	No. of A/Cs	Amt.		Cum. Sanctioned	Cum. Disbursement	Cum. Sanctioned	Cum. Disbursement	
Upto Rs. 25 Crores	95961	2467.70	95961	64097	40224	1668.03	1428.51	66.79
Above Rs. 25 to 50 Crores	504	187.28	504	55	53	142.17	81.40	10.91

GECL - 2 :-

- वर्तमान में ईमरजेन्सी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना में रु. 50 करोड़ से रु. 500 करोड़ तक की outstanding (As on 29/02/20) वाली इकाइयां भी इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगी।
- दिनांक 29 फरवरी, 2020 को outstanding Loan Amount का 20 प्रतिषत, ऋण राषि दी जा सकती है।

- SMA-1, SMA-2 खातों को उक्त सुविधा प्राप्त नही होगी।
- Annual Turnover की सीमा निर्धारित नही की गयी है।

GECL योजना अंतर्गत देश में माह नवम्बर, 2020 तक 61 लाख एम.एस.एम.ई. को रु. 2.05 लाख करोड़ स्वीकृत किये गये हैं एवं रु. 1.52 लाख करोड़ तक वितरित किया जा चुका है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त योजना को 31 मार्च, 2021 (योजना अन्तर्गत रु. 3 लाख करोड़ की स्वीकृति अथवा दिनांक 31.03.2021 तक, दोनो में से जो भी पूर्व में हो) तक बढ़ा दिया गया है। अतः समस्त बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे मार्च माह में अवषष एम.एस.एम.ई खाताधारकों को इस योजना का लाभ लेने हेतु जानकारी प्रदान करें।

उक्त विषय में बैंकों द्वारा योग्य खाताधारकों से वार्तालाप करने पर उद्यमियों द्वारा अवगत कराया गया है कि ऋण की आवष्यकता पड़ने पर ही, उनके द्वारा योजना का लाभ प्राप्त किया जायेगा।

(ग) Distressed Assets Fund – Subordinate Debt for Stressed MSMEs Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt (CGSSD) :

वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत कैम्पेन के तहत रु. 20,000 करोड़ का पैकेज उन खातों के लिए घोषित किया गया है, जो खाते दिनांक 30.04.2020 को SMA-2 अथवा एन.पी.ए. थे एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिषानिर्देषानुसार Restructuring के लिए योग्य थे।

अब तक मात्र 332 खातों में रु. 38.05 करोड़ का ऋण स्वीकृत तथा 272 ऋण खातों में रु. 30.84 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है।

योजना अंतर्गत राज्य की योग्य इकाईयों से संबंधित प्रगति निम्नवत है :

Progress upto 31/12/2020 **(Rs. In lacs)**

No. of MSME Borrowers which are Stressed (i.e. SMA-2 and NPA) as on 30.04.2020	No. of Eligible Borrowers under CGSSD	Sanctioned under CGSSD	
		No.	Amt.
5509	321	20	65.72

(घ) Restructuring of MSME Accounts :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एम.एस.एम.ई. में रु 25 करोड़ तक के खातों को Restructured करने हेतु उक्त योजना प्रारम्भ की गयी है। दिनांक 1 मार्च, 2020 का जो खाते Standard थे, लेकिन Stressed Accounts थे, उन खातों को Restructuring करने की अन्तिम तिथि दिनांक 31 मार्च, 2021 की गयी है।

Restructuring के बाद इन खातों का IRAC Status पूर्ववत ही रहेंगे।

दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक बैंकों द्वारा **7821** खात Restructured किय गय है।

एजेण्डा संख्या – 11 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।